न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शुचि त्यागी, .जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 56/2017 आरसीएमएस नम्बर 2017/00178
उनवानी प्रकरण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये कृषि अधिकारी (फसल) एवं उर्वरक निरीक्षक कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) धौलपुर———————————————प्रार्थी।

बनाम

1. पवन कुमार, खाद भण्डार बस स्टैण्ड जी. टी. रोड धौलपुर
2. फर्म मालिक पवन कुमार पुत्र भगवान दास निवासी जी. टी. रोड बस स्टैण्ड के सामने कोठारी बाग धौलपुर ———————————————————अप्रार्थीगण।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित " उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहायक लोक अभियोजक प्रथम।

निर्णय दिनॉक 12.03.2018

निर्णय

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित " उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 " के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया था । उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए तथा बहस सुनने के पश्चात् इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2014 निर्णय पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा माल 54 वैग बजनी 2347 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये ।

न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर के समक्ष अपील पेश की जिसे माननीय न्यायालय जिला एवं सैंशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा माननीय न्यायालय अपर सैंशन न्यायाधीश धौलपुर में अंतरित किया गया। माननीय न्यायालय अपर सैंशन न्यायाधीश धौलपुर ने अपने निर्णय दिनांक 26.9.2017 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 7.4.2014 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर विनिश्चित कर निर्णय पारित करें ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

माननीय न्यायालय अपर सैंशन न्यायाधीश धौलपुर के निर्णय दिनांक 26.9.2017 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर अप्रर्थीगण को नोटिस जारी कर तलव किया गया ।

प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए तथा अप्रार्थीगण की ओर से श्री मुकेश त्यागी अभिभाषक उपस्थित हुए ।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक दिनांक 7.11.2017 से 23.1.2018 तक पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित होते रहे दिनांक 23.1.2018 को अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने कथन किया कि उसे अप्रार्थीगण की ओर से पैरवी करने की हिदायत नहीं हैं ।

प्रकरण में प्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनी गई । विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 4.10.2013 को 11.00 ए.एम. पर अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर प्रार्थी एवं अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी नहीं मिला उसका भाई मिला। अप्रार्थी उर्वरक लाईसेन्स संख्या डीएफआर 646 था जो दिनांक 2.7.2013 तक ही वैद्य था। फर्म की दुकान/गोदाम के पीछे स्थित टीन सैड में सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार गिरनार ब्राण्ड निर्माता रामा फॉस्फेट लि. उर्वरक के 54 बैग हाथ से सिले हुए ढेरी में रखे मिले। जिन्हें फर्म द्वारा मिलावट के उद्देश्य के अवैध भण्डारण के लिए रख रखा था। फर्म मालिक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 11 (5) मिलावट का अंदेशा होने की दशा में 19 (सी)(III) उर्वरक के बैग एक से अधिक संख्या में खुले हुए व हाथ से सिले हुए पाये जाना 22 ए का सीधा उल्लंघन पाया गया। उक्त जप्त किये गये उर्वरक का मिलावट हेतु प्रयोग में लिया जाना एवं बिना उर्वरक लाईसेन्स के उर्वरक पाया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 11 (5) 19 (सी) (III) 22 ए में जुर्म किया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में जब्त सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण ने अपने पूर्व जवाब में जब्तशुदा माल से स्वंय का कोई लेना देना न होना अंकित किया था। तथा जब्त शुदा माल बंगाली पुत्र विपतीराम जाति त्यागी निवासी ग्राम कोलुआ एंव रमेश चन्द त्यागी पुत्र भंवर सिंह जाति त्यागी निवासी कोलुआ का होना बतलाया था। बंगाली एंव रमेश चन्द द्वारा न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण उनका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 07.04.2014 के द्वारा खारिज कर दिया। बंगाली एंव रमेश द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध कोई अपील माननीय न्यायालय जिला एंव सैशन न्यायाधीश धौलपुर के समक्ष पेश नही की है। इससे स्पष्ट है कि जब्त शुदा माल से बंगाली एंव रमेश का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन प्रकरण में मध्य मे ही पैरवी से इन्कार करना यह सिद्ध करता है कि जब्तशुदा माल में अप्रार्थीगण को कोई रूचि नही है। अप्रार्थीगण ने पूर्व में भी यह कथन कह चुके है कि जब्त शुदा माल से उनका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा माल राजसात किये जाने के आदेश दिये जावे।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि दिनांक 4.10.2013 को 11.00 ए.एम. पर अप्रार्थी के प्रतिष्ठान पर प्रार्थी एवं अन्य कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी नहीं मिला उसका भाई मिला। अप्रार्थी उर्वरक लाईसेन्स संख्या डीएफआर 646 था जो दिनांक 2.7.2013 तक ही वैद्य था।
2. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि फर्म की दुकान/गोदाम के पीछे स्थित टीन सैड में सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार गिरनार ब्राण्ड निर्माता रामा फॉस्फेट लि. उर्वरक के 54 बैग हाथ से सिले हुए ढेरी में रखे मिले। जिन्हें फर्म द्वारा मिलावट के उद्देश्य के अवैध भण्डारण के लिए रख रखा था। फर्म मालिक द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7, 11 (5) मिलावट का अंदेशा होने की दशा में 19 (सी)(।।।) उर्वरक के बैग एक से अधिक संख्या में खुले हुए व हाथ से सिले हुए पाये जाना 22 ए का सीधा उल्लंघन पाया गया।
3. यह तथ्य सही है कि उक्त जप्त किये गये उर्वरक का मिलावट हेतु प्रयोग में लिया जाना एवं बिना उर्वरक लाईसेन्स के उर्वरक पाया जाना उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7 11 (5) 19 (सी) (।।।) 22 ए में जुर्म किया था। जिस पर न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण में जब्त सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये थे।
4. अप्रार्थीगण ने अपने पूर्व जवाब में जब्तशुदा माल से स्वंय का कोई लेना देना न होना अंकित किया था। तथा जब्त शुदा माल बंगाली पुत्र विपतीराम जाति त्यागी निवासी ग्राम कोलुआ एंव रमेश चन्द त्यागी पुत्र भंवर सिंह जाति त्यागी निवासी कोलुआ का होना बतलाया था। बंगाली एंव रमेश चन्द द्वारा न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाने के कारण उनका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 07.04.2014 के द्वारा खारिज कर दिया।
5. बंगाली एंव रमेश द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 07.04.2014 के विरूद्ध कोई अपील माननीय न्यायालय जिला एंव सैशन न्यायाधीश धौलपुर के समक्ष पेश नही की है। इससे स्पष्ट है कि जब्त शुदा माल से बंगाली एंव रमेश का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है।
6. अप्रार्थीगण द्वारा विचाराधीन प्रकरण में मध्य मे ही पैरवी से इन्कार करना यह सिद्ध करता है कि जब्तशुदा माल में अप्रार्थीगण को कोई रूचि नही है। अप्रार्थीगण पूर्व में भी यह कथन कह चुके है कि जब्त शुदा माल से उनका कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना एवं जब्तशुदा 54 बैग बजनी 2347 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक को राजसात किया जाना उचित समझते हैं ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रकरण में जप्त शुदा माल 54 वैग बजनी 2347 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा प्रार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि जप्त शुदा माल 54 वैग बजनी 2347 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक को सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर कय विकय सहकारी समिति के माध्यम से उचित मूल्य पर विकय कराकर राशि राजकोष में जमा करा कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय में भिजवाये। पत्राबली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर, धौलपुर
धौलपुर